



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर संभाग सागर

गोबिंद प्रसाद तनय मौजीप्रसाद पांडे,

क्रि. (3582-II-15)

निवासी ग्राम पुरैना कांटी, तहसील हटा जिला दमोह म० प्र०

.....आवेदक

वनाम

म०प्र० शासन द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता :-

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा द्वारा प्र०क्र० 01346/अ-68/2010-11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07/09/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी मां स्व० कलीबाई पत्नि स्व० मौजीप्रसाद पांडे को आवासहीन होने के कारण वर्ष 1976 में पुराने खसरा नंबर 10 जिसका नया खसरा नंबर 137 है रकवा 3.57 है० आवादी की भूमि में से 30/30 यानि 900 वर्ग फुट का पट्टा प्रदान किया गया था। पट्टा की शर्तों के अनुसार सभी आवेदकों द्वारा अपने अपने पट्टा की भूमियों पर मकान बना लिये थे तथा उनमें निवास करने लगे थे। आवेदक द्वारा भी आबंटित भूमि पर मकान बना लिया था। तथा निवास करने लगे थे तथा तभी से निवासरत हैं।

3- यह कि अपीलार्थी की मां ने उपरोक्त पट्टा पर बना मकान आवेदक की मां को प्रदान कर दिया था। अपीलार्थी की मां को जो पट्टा प्राप्त हुआ था उसे गुम हो जाने के कारण ग्राम पंचायत उदयपुरा द्वारा अपीलार्थी की पत्नि को वर्ष 1995 में उक्त भूमि का पट्टा 30/30 का प्रदान किया था। अपीलार्थीगण उपरोक्त पट्टा बाली भूमि पर बिगत चालीस साल

गोबिंद प्रसाद तनय

✓

19 OCT 2015

श्री गोबिंद प्रसाद तनय
सागर संभाग
सागर (म.प्र.)

264

BOR.

2913116

आवेदक आशुतोष श्री-राजेश्वर परेशिमा
 उपस्थित होकर- निवेदन किया है कि-
 वह प्रकार की आशु नही चलाया चाहते
 हैं। अतः आवेदक आशु. के अग्रकोष- पर-
 प्रकार की इसी- तरह पर- समाप्त किया
 जाता है।

29/3/11
for Applicant

[Signature]
सदस्य

M